<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 09/2019

बउनवान

अजयराज सिंह आयु 21 वर्ष पुत्र श्री रविन्दसिंह जाति–राजपूत
निवासी–जनता टोडी वार्ड नं0 2 मॉगरोल तहसील–मॉगरोल
जिला–बारां(राज0) (अपीलांट)

बनाम

1–राजबहादुर आयु 53 वर्ष पुत्र श्री विजयबहादुर जाति–राजपूत निवासी जनता टोडी वार्ड नं0 2 मॉगरोल तह. मॉगरोल जिला–बारां
2. रविन्द्रसिंह आयु 46 वर्ष पुत्र विजयबहादुर दत्तक पुत्र श्री चांदसिंह जाति राजपूत निवासी जनता टोडी वार्ड नं0 2 मॉगरोल तह. मॉगरोल जिला–बारां
3. श्रीमती महेश कॅवर आयु 56 वर्ष पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह जाति–राजपूत निवासी जनता टोडी वार्ड नं0 2 मॉगरोल तह. मॉगरोल जिला–बारां
4. सुरेश कुमारी आयु 48 वर्ष पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति–राजपूत निवासी जनता टोडी वार्ड नं0 2 मॉगरोल तह. मॉगरोल जिला–बारां
5. मीनाक्षी आयु 44 वर्ष पत्नी श्री भॅवरसिंह हाडा जाति–राजपूत निवासी ठि. बडे मठ के पास खातौली तहसील–पीपल्दा जिला–कोटा
6. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां(राज0) (रेस्पोंडेंटस्)

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा <u>तस्दीकी इन्तकाल नं0 2468 दिनांक 05.11.2018 ग्राम मॉगरोल अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

<u>निर्णय दिनांक– 27.01.2021</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

1– अपीलांट ने अधीनस्थ [illegible] मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2468 दिनांक 05.11.2018 वाके ग्राम मॉग[illegible] अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम मॉगरोल मे [illegible] 988 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 989 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 990 रकबा [illegible] रकबा 0.07 है0 कु[illegible] किता रकबा 0.80 है0 खातेदार विजयबहादुर पुत्र माधोसिंह राज[illegible] निवासी मॉगरोल के [illegible] व कब्जे काश्त में स्थित है। श्री विजय बहादुर का स्वर्गवास दिनांक 15.1.2018 को हो गया है। श्री विजयबहादुर के रेस्पों. क्रम 1 लगायत 5 पुत्र पुत्रियॉ है। रेस्पो0 क्रम–2 चॉदसिंह गोद चले

गये। स्व0 विजयबहादुर द्वारा दिनांक 05.01.2018 को उक्त वर्णित कृषि भूमि मद नम्बर–1 की वसीयत प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की है, जो उनकी प्रथम व आखरी वसीयत है।

2– अपीलांट ने वसीयत दिनांक 05.01.2018 के आधार पर उपरोक्त आराजी को राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन रेस्पोडेंट तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को प्रस्तुत किया। जिसपर तहसीलदार द्वारा धारा, 135(2) के तहत कार्यवाहीं करने के आदेश प्रदान किये गये तथा संबंधित पटवारी को आवेदन क्रमांक एलआर/18/699 दिनांक 14.02.2018 को जॉच हेतु भिजवाया गया। किन्तु उपरोक्त कार्यवाहीं लंबित होने के बाबजूद पटवारी हल्का द्वारा नियमों के विपरीत मनमाने तरीके से दिनांक 14.02.2018 रेस्पोडेंट क्रम 1,3,4,5 के नाम विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल खोल दिया है, जो अपीलांट के हित एवं हक अधिकारों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 12.02.2018 अभिलेख पर होने के बावजूद, बिना वसीयत की जॉच व आदेश किये दिनांक 05.11.2018 को रेस्पोडेंट के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक कर दिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 2468 दिनांक 5.11.2018 ग्राम मॉगरोल निरस्त फरमाया जाकर, वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम इन्तकाल खोले जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तकरण अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के दादा श्री विजय बहादुर जी के ग्राम मॉगरोल में आराजी ख0नं0 988 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 989 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 990 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 991 रकबा 0.07 है0 कुल 4 किता रकबा 0.80 है0 खातेदारी में दर्ज है। श्री विजय बहादुर जी ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पक्ष में दिनांक 05.01.2018 को अनरजिस्टर्ड वसीयत तहरीर कर रखी है। यह इनकी प्रथम व अंतिम वसीयत है। श्री विजय बहादुर जी का देहान्त दिनांक 15.01.2018 को होने पर, अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष उपस्थित होकर, वसीयती इन्तकाल दर्ज करने हेतु दिनांक 12.02.2018 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जिसपर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा धारा, 135(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाहीं करने हेतु आदेश दिये गये तथा प्रार्थनापत्र को जॉच व रिपोर्ट के लिये संबंधित हल्का पटवारी को दिनांक 14.02.2018 को भिजवाया [illegible] किन्तु संबंधित पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई रिपोर्ट नहीं भिजवाई [illegible] जॉच पडताल किये, फौती इन्तकाल खोल दिया। जिसे तहसीलदार, मॉगरोल [illegible] दिनांक 12.02.2018 को तस्दीक कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

5— वर्णित आराजी विजय बहादुर जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसे उन्होने उप निवेशन की नीलामी में खरीदी है, उक्त आराजी पैतृक नहीं है। इस प्रकार अपीलांट वसीयत के आधार पर उक्त आराजी अपने नाम दर्ज कराने का कानूनी अधिकारी व वैधानिक वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जॉच व प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बिना फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल निरस्त किया जाकर, वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में वर्णित भूमि का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक विजय बहादुर जी की मृत्यु होने पर उनके वैधानिक वारिसान् के नाम फौती इन्तकाल तस्दीक किया है। अपीलांट का वर्णित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। क्योकि अपीलांट के पिता रविन्द्रसिंह जी, विजय बहादुर जी के जीवनकाल में हीं राजीखुशी चॉदसिंह जी के गोद चले गये थें। उन्हे चॉदसिंह जी पैतृक आराजी मिली है। अपीलांट पौता है तथा पिता गोद जाने के बाद उनका इस आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है। इसी आधार पर फोती इन्तकाल तस्दीक किया गया है।

7— साथ हीं कथन किया कि अपीलांट स्वंय को वसीयती पुत्र बता रहे है। कथित वसीयत अनरजिस्टर्ड है जिसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। उक्त आराजी पैतृक है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त आराजी स्वअर्जित है। चूकि उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वैधानिक अधिकार तय नहीं किये जा सकते, तब तक कि वसीयत सिद्ध नहीं हो जाती। वसीयत वैध नहीं है। इसी कारण तत्समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक प्राकृतिक वारिसान के नाम उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है। इन्तकाल पूर्णतया सहीं व वैध है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

8— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि श्री विजयबहादुर के खाता संख्या 1058 के राजस्व रेकार्ड में वर्णित आराजी ख0नं0 988 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 989 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 990 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 991 रकबा 0.07 है0 कुल 4 किता रकबा 0.80 है0 ग्राम मॉगरोल में दर्ज है, जिसका अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा फौती इन्तकाल संख्या 2468 दिनांक 5.11.2018 को तस्दीक किया गया जिसके मद संख्या—01 मे वर्णित आराजी [illegible] रकबा 0.80 है0 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी है। बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट वसीयती दत्तक पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना [illegible]वाई व वसीयत की जॉच किये बिना, फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है। जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेंट्स अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट के पिता रविन्द्रसिंह, चॉदसिंह जी के गोद चले गये थे तथा इन्हे चॉदसिंह जी की विरासतन आराजी प्राप्त हुई है। इनका विजयसिंह जी की आराजी से कोई सरोकार नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

है तथा उक्त आराजी पैतृक है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन फौती इन्तकाल दर्ज किया गया है।

9— पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को मृतक विजय बहादुर सिंह द्वारा तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.01.2018 के आधार पर वसीयती इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, जिसपर तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा कोई जॉच पडताल अथवा कार्यवाहीं नहीं की गयी। जबकि आवेदन पर धारा, 135(2) एलआरएक्ट के तहत कार्यवाहीं करने हेतु आदेश दिये गये है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो वसीयत की कोई जॉच की, ना हीं वैधानिक वारिसान् की विधिक सुनवाई की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बिना, रेस्पोडेंट्स का फौती इन्तकाल तस्दीक किया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2468 दिनांक 05.11.2018 के मद संख्या 01 में वर्णित आराजी ख0नं0 988 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 989 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 990 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 991 रकबा 0.07 है0 कुल किता 04 रकबा 0.80 है0 का इन्तकाल निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है प्रकरण में वसीयतकर्ता मृतक विजय बहादुर सिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत सा.देह मॉगरोल द्वारा अपीलांट अजयराज सिंह के पक्ष में तहरीरी अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.01.2018 की जॉच कर कि उक्त आराजी पैतृक है या विरासतन। वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार है ना नहीं तथा पक्षकरान् की विधिवत सुनवाई व साक्ष्य लेकर एवं अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.01.2018 की जॉच व परीक्षण कर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 01.03.2021 को उपस्थित होंवे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested